

न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर।
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा, आर0ए0एस0

रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र सं० : 01/2020

प्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर।

अप्रार्थीगण

1. बालूसिंह पुत्र पोकरसिंह
2. मालूसिंह पुत्र पोकरसिंह
3. मदनसिंह पुत्र पोकरसिंह
4. गजेन्द्रसिंह पुत्र पोकरसिंह
5. मोहनकंवर पत्नी पोकरसिंह
सभी जातियान पुरोहित, निवासी ग्राम कुडी तहसील जोधपुर।
6. गिरधारीसिंह पुत्र पन्नेसिंह उर्फ पेमाराम जाति पुरोहित, निवासी ग्राम सांगरिया तहसील जोधपुर।
7. श्रीमति भावना सुराणा पत्नी संजय सुराणा, जाति जैन, निवासी ईएच, सरदारपुरा प्रथम सी रोड़ जोधपुर।
8. सोहनसिंह पुत्र प्रेमसिंह, जाति पुरोहित, निवासी ग्राम सांगरिया, तहसील जोधपुर।

रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान
भू-राजस्व अधिनियम 1956 अन्तर्गत।

— — —

उपस्थिति :

1. प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार।
2. अधिवक्ता सत्यनारायण राजपुरोहित (अप्रार्थी संख्या 4 से 8)।

:-: आदेश :-:

दिनांक:

01. प्रार्थी तहसीलदार, जोधपुर की ओर से यह रेफरेंस प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम सांगरिया के खसरा नम्बर 296 की 113 बीघा 9 बिस्वा भूमि डोली श्री पाबूजी महाराज की भूमि है। मौजा सांगरिया के पर्चा खतौनी संवत् 2006 (सन् 1950) में डोली श्री पाबूजी पेमा वल्द हरजी कौम पुरोहित वाके देह दर्ज है तथा इस पर्चे में पेमा वल्द हरजी पुरोहित काश्तकार अंकन को काटकर डोली खुदकाश्त अंकित किया गया है। इस प्रकार उक्त भूमि डोली की भूमि है। उक्त भूमि की खातेदारी पेमा वल्द हरजी पुरोहित के नाम से लम्बे समय पूर्व



गलत रूप से दर्ज हो गई। बाद में पेमा का देहांत होने से उक्त भूमि उनके पुत्र सोना, पोकर, गिरधारी पीसरान पेमा के खातेदारी में दर्ज हुई एवं बाद में बंटवाडा हो जाने से खसरा नम्बर 296, 296/1 व 296/2 तीन खसरे अलग-अलग बने। पेमा पुत्र हरजी व उनके पुत्रों ने गलत रूप से डोली की भूमि अपनी खातेदारी में दर्ज करवा ली है इसलिए भूमि पुनः डोली श्री पाबूजी के नाम दर्ज करने के बाबत कथन किया गया। रेफरेंस दर्ज रजिस्टर करके अप्रार्थीगण को नोटिस भेजे गये। अप्रार्थी संख्या 4 से 8 की ओर से अधिवक्ता सत्यनारायण राजपुरोहित ने अपना वकालतनामा पेश किया।

वकील अप्रार्थीगण ने एक लिखित प्राथमिक आपत्ति इस आशय की प्रस्तुत की कि रेफरेंस के साथ प्रस्तुत जमाबंदी में राजस्व मण्डल में रेफरेंस विचाराधीन होने का नोट लगा हुआ है, इसलिए यह रेफरेंस मेन्टेनेबल नहीं है एवं मात्र इसी आधार पर खारिज किया जावे। प्राथमिक आपत्ति के जवाब में तहसीलदार, जोधपुर ने यह कथन किया कि जमाबंदी में रेफरेंस विचाराधीन होने का नोट अवश्य लगा हुआ है, लेकिन ऐसा कोई रेफरेंस राजस्व मण्डल में विचाराधीन नहीं है। चूंकि राजस्व मण्डल में कोई रेफरेंस विचाराधीन नहीं है। ऐसी स्थिति में ऐसा नोट जमाबंदी में गलत व अनावश्यक रूप से लगाया गया है, जो हटाये जाने योग्य है। चूंकि तहसीलदार का यह कथन है कि राजस्व मण्डल में कोई रेफरेंस विचाराधीन नहीं है। ऐसी स्थिति में वकील अप्रार्थीगण की प्राथमिक आपत्ति मात्र इसी आधार पर की रेफरेंस चलने योग्य नहीं है, खारिज की जाती है एवं रेफरेंस बाबत दोनों पक्षों की मेरिट पर बहस सुनी गई।

02. कि प्रार्थी सरकारी पैरोकार ने रेफरेंस प्रार्थना पत्र के अनुसार बहस करते हुए यह बताया कि ग्राम सांगरिया के खसरा नम्बर 296 की भूमि वक्त सेटलमेंट डोली थी, इसलिए उसे पुनः डोली के नाम करने का रेफरेंस किया जावे।
03. कि अप्रार्थी के अधिवक्ता ने जवाब बहस में निम्न तथ्य उठाये :-
 - (1) कि जमाबंदी संवत् 2014 यानि वर्ष 1957 में अप्रार्थीगण के पूर्वज पेमा वल्द हरजी का नाम बतौर खातेदार दर्ज है। पेमा के देहांत के पश्चात भूमि उनके पुत्रगण सोना, पोकर, गिरधारी पीसरान पेमा के नाम दर्ज

हुई। बाद में बंटवाडा होकर खसरा नम्बर 296 रकबा 37 बीघा 16 बिस्वा गिरधारी वल्द पेमा के नाम, खसरा नम्बर 296/1 रकबा 37 बीघा 17 बिस्वा पोकर वल्द पेमा के नाम व खसरा नम्बर 296/2 रकबा 37 बीघा 17 बिस्वा सोना उर्फ सोहनसिंह पुत्र पेमा के नाम दर्ज हुई। बाद में कुछ भूमि आगे से आगे बेचान हो गई। इस प्रकार पिछले 63 वर्षों से भूमि अप्रार्थीगण एवं उनके पूर्वजों के खातेदारी में लगातार चली आ रही है। रेफरेंस के लिए अधिकतम मियाद तीन वर्ष है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व माननीय राजस्व मण्डल ने अपने विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि लम्बे समय बाद मियाद बाहर रेफरेन्स नहीं किया जा सकता। माननीय उच्च न्यायालय की लार्जर बेंच ने न्यायिक दृष्टांत तारा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान राज्य 2015 RRD Page 556 में यहां तक कहा है कि यदि धोखे से भी कोई इन्द्राज करवाया गया है तो भी रेफरेन्स के अधिकारों का प्रयोग लम्बे समय पश्चात नहीं किया जा सकता, जबकि वादग्रस्त भूमि पिछले 63 वर्षों से अप्रार्थीगण एवं उनके पूर्वजों के खातेदारी में समय-समय पर दर्ज होने के कारण यह रेफरेंस मियाद बाहर है एवं काबिल खारिज है। इस संबंध में वकील अप्रार्थीगण ने निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए:-

- (a) 2016(1) RRT 651 में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि "Rajasthan Land Revenue Act, 1956-Sec. 82-Reference-Allotment sought to be cancelled after 25 years-Propriety-No limitation prescribed-Unreasonable delay of 25 years-Held, Reference is liable to be dismissed.

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956-धारा 82-रेफरेन्स-25 वर्ष वाद आवंटन निरस्त कराना चाहा-औचित्यता-परिसीमा विहित नहीं है-25 वर्ष का अयुक्तियुक्त विलम्ब-निर्णीत, रेफरेन्स खारिज होना योग्य है।"

- (b) 2016(1) RRT 288 में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "Rajasthan Tenancy Act, 1955-Sec. 232-Rajasthan Land Revenue Act, 1956-Sec. 82-Reference-A.C.C. ordered to record the land in gair khatedari of 'R, S & P' holding the possession prior to Svt. 2012 & declared them as gair khatedar-Reference against the order dt. 7-10-1985-No appeal filed against

the order dated 7-10-1985-Reference made after about 19 years-
No limitation provided for reference but it does not mean that power
can be exercised at any time-Held, Reference is liable to be rejected being made after long delay.

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955—धारा 232—राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956—धारा 82—रेफरेन्स—संवत् 2012 से पूर्व का कब्जा होना निर्णीत करते हुए सहायक आयुक्त उपनिवेशन ने भूमि को 'आरए एस तथा पी' की गैर खातेदारी में दर्ज करने का आदेश दिया और उन्हें गैर खातेदार घोषित किया—आदेश दिनांक 7.10.1985 के विरुद्ध रेफरेन्स—आदेश दिनांक 7.10.1985 के विरुद्ध अपील पेश नहीं की—लगभग 18 वर्ष बाद रेफरेन्स किया—रेफरेन्स के लिए परिसीमा प्रदत्त नहीं है लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं कि किसी भी समय शक्ति का उपयोग किया जा सकता है—निर्णीत, दीर्घ विलम्ब के बाद पेश करने से रेफरेन्स खारिज होने योग्य है।”

- (c) 2015(3) RLW 2313 (Raj.) में माननीय उच्च न्यायालय ने 37 वर्ष देरी से की गई कार्यवाही को उचित व न्यायसंगत नहीं माना।
- (d) 2000(1) RLR 595 में माननीय उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि “Raj. Land Reforms and Resumption of Jagirs Act, 1952, Ss. 9 & 10-Raj. Tenancy Act, 1955, S.15-Muafi land resumed in 1963-Petitioners were in possession of land since before resumption and for more than 40 years at the time of filing suit and were paying rent in the shape of 'Munafa'-Decree of possession passed by S.D.O. against petitioners holding that Murti Mandir was khatedar of said land and petitioners were in possession without any authority of law-Said decree upheld even by Board of Revenue-Held, in view of changed position of law as laid down by Supreme Court in Deepa's case (1996) 1 SCC 612, decree/judgment of courts below cannot be upheld and as such set aside.

माननीय उच्च न्यायालय ने 40 वर्ष पश्चात की गई कार्यवाही को उचित नहीं माना।”

- (e) 2019 RBJ Page 240 में माननीय उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि “In the above State case, Hon'ble Rajasthan High Court, relying upon law laid down in 1996(2) WLC 36, 1996(1) DNJ

100 (Raj.), 2015 (3) WLC 548 (Raj.), 2015 (3) DNJ 1074 (Raj.) has held as under:-

That Rajasthan Land Revenue Act, 1956 Sec. 82-Although there is no limitation prescribed for making reference but delay should be reasonable Delay of 44 years cannot be said to be reasonable in any manner. (राजस्थान लैंड रेवेन्यु एक्टए 1956—धारा 82—हालांकि रेफरेन्स करने के लिए किसी प्रकार की म्याद की सीमा निर्धारित नहीं है फिर भी देरी युक्तियुक्त होनी चाहिए। 44 वर्ष की देरी को किसी भी प्रकार से युक्तियुक्त नहीं कहा जा सकता।)

- (f) 2018-19 (Supp.) RRT 542 में माननीय राजस्व मण्डल ने यह अभिनिर्धारित किया है कि "Rajasthan Land Revenue Act, 1956-Section 82- Reference-Land of Mandir Sh. Gopalji-Khudkasht land-Pujari sold the land to 'N, R and B'-Death of 'N' and his LR's were substituted-Possession of non-petitioners since last 42 years-Reference made after an inordinate delay-Regular suit is also pending against the non-petitioners-Legality and validity of the sale deed cannot be decided in reference-Held, Pending suit reference is not maintainable.

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956—धारा 82—रेफरेन्स—मन्दिर श्री गोपाल जी की भूमि—खुदकाशत भूमि—पुजारी ने 'एन, आर तथा बी' को भूमि विक्रय की—'एन' की मृत्यु हुई तथा वारिसान प्रतिस्थापित किये—पिछले 42 वर्षों से अप्रार्थीगण का कब्जा—असाधारण विलम्ब के बाद रेफरेन्स किया—अप्रार्थीगण के विरुद्ध नियमित वाद विचाराधीन है—विक्रय—पत्र की वैधता व विधिमान्यता को रेफरेन्स में निर्णीत नहीं किया जा सकता—निर्णीत, वाद के विचाराधीन रेफरेन्स पोषणीय नहीं है।"

- (g) 2006 RRD Nov. 783 में माननीय उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि "Rajasthan Tenancy Act, Section 232, 88, 188-Petitioner declared as gair khatedar by Asstt. Commissioner Colonisation by judgment dt. 19-10-1982-Reference made to set aside judgment and decree in 1995, i.e., after 13 years-Reference allowed by Board of Revenue-Held, exercise of powers at such a belated stage, not justified-Gair khatedari rights acquired by fraud or collusion, not proved-Order dt. 19-10-1982, restored.

- (h) 2006 RRD Nov., 785 में माननीय उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि ""Rajasthan Tenancy Act, Section 232 & 42-Reference made after about 9 years allowed by Board of Revenue quashing judgment and decree passed by trial court-Name of 'D' wrongly entered in revenue record-Possession of petitioner found for last over 36 years-Suit was decreed on the basis of compromise-Held, Board of Revenue not examined entire material on record, nor adjudicated findings given by trial court-No mention of fraud or illegality-No valid reason of making reference-Also, exercise of powers u/s 232 after 9 years, unjustified.
- (2) कि वकील अप्रार्थीगण द्वारा यह भी बहस की गई कि डोली श्री पाबूजी महाराज की स्थिति जागीरदार की थी एवं काश्तकार के रूप में पेमा वल्द हरजी थे। जैसे ही जागिरी जब्त हुई, मंदिर के स्थान पर सरकार दर्ज कर दिया गया एवं पेमा वल्द हरजी खातेदार बने, इसलिए वादग्रस्त भूमि डोली की नहीं होकर खातेदारी की है। डोली की स्थिति मात्र जागीरदार की थी, जो जागिरी समाप्त होने के साथ ही समाप्त हो गई व पेमा काश्तकार था, इसलिए खातेदार बन गया।
- (3) कि उक्त भूमि यदि डोली की होती तो उसका लगान कायम नहीं होता, न ही लगान वसूल किया जाता, जबकि उक्त भूमि का लगान कायम किया जाकर अप्रार्थीगण एवं उनके पूर्वजों से समय-समय पर लगान वसूल किया गया। कुछ लगान की रसीदों का विवरण निम्न प्रकार है:-

रसीद संख्या	दिनांक	लगान देने वाले का नाम	रकबा	राशि
12203	18.01.1965	पोकर वल्द पेमा पुरोहित	113 बीघा 9 बिस्वा	लगान संवत् 2020 (63.81/-रूपये व लगान संवत् 2021 63.81/-रूपये, सरचार्ज 16/-रूपये कुल 147.62/-रूपये)
12714	08.02.1966	पोकर, गिरधारी वगैरा ग्राम सांगरिया	113 बीघा 9 बिस्वा	संवत् 2022 (63.81/-रूपये)
3081	28.01.1971	सोना, पोकर, गिरधारी वल्द पेमा	113 बीघा 9 बिस्वा	संवत् 2027-28 63.81/-रूपये व सरचार्ज मिलाकर कुल 127.62/-रूपये
81340	15.12.1974	पोकर वल्द पेमा	37 बीघा 12 बिस्वा	संवत् 2028 63.81/-रूपये व अन्य 21.27/-रूपये कुल 85.08/-रूपये
10370	28.11.1976	पोकरसिंह	37 बीघा 17 बिस्वा	संवत् 2033

				21.27 /—रूपये
066556	14.01.1978	गिरधारीसिंह वल्द पेमसिंह पुरोहित	37 बीघा 16 बिस्वा	बिगोडी संवत् 2034 21.27 /—रूपये

कि ढालबांछ सन् 2022 से 2040 में भी वादग्रस्त भूमि का लगान अप्रार्थीगण व उनके पूर्वजों के नाम कायम होने एवं लगान जमा होने की पुष्टि होती है। ढालबाछ सम्वत् 2022 यानि संवत् 1965 में 113 बीघा 9 बिस्वा भूमि का लगान पोकर, गिरधारी, सोना पिसरान पेमा के नाम से कायम होने व जमा होने का इन्द्राज है, ऐसा ही इन्द्राज सम्वत् 2040 तक अलग-अलग वर्षों का लगान कायम होने व जमा होने का है। इस प्रकार यदि भूमि डोली की होती तो न तो लगान कायम होता तथा न ही लगान की वसूली की जाती। टिनेन्सी एक्ट की धारा 5(26) के अनुसार जिस व्यक्ति ने लगान अदा किया या जिस व्यक्ति द्वारा लगान देय है, वह खातेदार है। इस प्रकार पेमा व उनके वारिसान की स्थिति खातेदार की थी।

- (4) कि वकील अप्रार्थीगण ने बहस में यह तथ्य उल्लेखित किया कि जमाबंदी में पटवारी हल्का ने गलत तरीके से डोली बनाम पाबूजी महाराज का नोट लगाया। उस नोट को हटाने के लिए अप्रार्थीगण की ओर से तीन अपीलें प्रस्तुत की गईं। उक्त तीनों अपीलों को दिनांक 13.03.2013 को स्वीकार करते हुए न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ने वादग्रस्त भूमि को डोली बनाम पाबूजी की भूमि नहीं मानते हुए जमाबंदी में लगाये गये नोट को हटाने की कार्यवाही करने हेतु उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर को आदेश दिया एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर ने अपने निर्णय दिनांक 23.04.2014 के जरिये खसरा नम्बर 296/1 रकबा 37 बीघा 16 बिस्वा भूमि की जमाबंदी में डोली बनाम पाबूजी महाराज का नोट हटाने का आदेश दिया। इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर तथा संभागीय आयुक्त, जोधपुर ने अपने निर्णयों में उपरोक्त भूमि को डोली भूमि नहीं मानते हुए नोट हटाने के संबंध में आदेश दिया। उक्त आदेश फाईनल हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि डोली के नाम दर्ज करने के बाबत अब रेफरेंस प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

कि अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर का निर्णय दिनांक 13.03.2013 व उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर का निर्णय दिनांक 23.04.2014 फाईनल हो चुके हैं क्योंकि उनके विरुद्ध न तो आगे कोई

अपील पेश की गई एवं न ही उनके विरुद्ध किसी प्रकार की अन्य कार्यवाही की गई। न्यायिक दृष्टांत 2018-19 (Supp.) RRT 593 में माननीय राजस्व मण्डल ने यह अभिनिर्धारित किया है कि “Rajasthan Land Revenue Act, 1956-Section 82-Land of Khasra number 5335 declared to be of khatedari of plaintiffs non-petitioners-Land was siwai chak-Reference-SDO passed the judgment after hearing both the parties-If the State Government was aggrieved, judgment ought to have been challenged in appeal-Reference filed after expiry of limitation-Reference could not be option of appeal-Held, Decree cannot be set aside by reference-Reference is liable to be dismissed.

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956—धारा 82—खसरा संख्या 5335 की भूमि वादीगण अप्रार्थीगण की खातेदारी की होना घोषित किया—भूमि सिवाय चक थी—रेफरेन्स—दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद एस.डी.ओ. ने निर्णय पारित किया—राज्य सरकार अगर व्यथित थी, निर्णय को अपील में चुनौती देनी चाहिये—मियाद समाप्ति के बाद रेफरेन्स पेश किया—रेफरेन्स अपील क विकल्प नहीं हो सकता—निर्णीत, रेफरेन्स द्वारा डिक्री अपास्त नहीं की जा सकती—रेफरेन्स खारिज होने योग्य है।”

- (5) कि रेफरेंस किसी आदेश, निर्णय या डिक्री को निरस्त करने के संबंध में ही किया जा सकता है एवं रेफरेंस में उस आदेश, निर्णय या डिक्री की वैधता को देखा जाता है। राजस्व रेकॉर्ड की प्रविष्टियों को निरस्त करने के बाबत रेफरेंस प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इस संबंध में माननीय राजस्व मण्डल ने विभिन्न निर्णय पारित किये हैं। पर्चा खतौनी संवत् 2006 यानि सन् 1950 में पेमा वल्द हरजी, कौम पुरोहित का नाम काश्तकार के रूप में दर्ज है। बाद में पर्चे में काट-छांट की गई है, वह विधि विरुद्ध है। एक बार काश्तकार के रूप में पर्चा जारी होने के बाद उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता था। ऐसा कोई परिवर्तन काश्तकार पेमा पुत्र हरजी की सहमति से नहीं किया गया इसलिए एक बार पर्चा वर्ष 1950 में काश्तकार, खातेदार के रूप में जारी होने के पश्चात वह फाईनल हो गया, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। न्यायिक दृष्टांत 2016(1) RRT 396 में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि “Rajasthan Land Revenue Act, 1956-Sec. 82-Reference-Land was

recorded as Nadi/Nala/Talab but now it has been recorded in the name of Bodu Lal-Reference can be made against a judgment or order or proceedings-Revenue entries can not be set aside unless the order is set aside-Under which order the entries were made in the record-Held, Reference is not acceptable & rejected however the Collector is free to make reference afresh.

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956-धारा 82-रेफरेन्स-भूमि नदी/नाला/तालाब के रूप में दर्ज थी लेकिन अब यह बोदूलाल के नाम दर्ज की-निर्णय अथवा आदेश अथवा कार्यवाही के विरुद्ध रेफरेन्स किया जा सकता है-राजस्व प्रविष्टियों को अपास्त नहीं किया जा सकता जब तक कि आदेश अपास्त न हो-किस आदेश के अन्तर्गत रेकॉर्ड में इन्द्राज किया गया-निर्णीत, रेफरेन्स स्वीकार योग्य नहीं है तथा खारिज किया तथापि पुनः रेफरेन्स करने हेतु कलेक्टर स्वतन्त्र है।”

कि इसी प्रकार न्यायिक दृष्टांत 2020(1) RRT 60 में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि “Rajasthan Tenancy Act, 1955-Section 82-Reference-Land was recorded in name of the Mafi Mandir Sh. Thakurji in Samvat 2008 to 2027 and 'M' was recorded as tenant-Name of the Mandir deleted and land recorded in the name of 'M'-No cogent material to decide the controversy-Nothing mentioned that how the land was recorded in the name of 'M'-Reference can be made against any judgment or order-No any order is available on record-Held, Order set aside and case remanded to the Additional Collector to make reference after thorough examination.

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955-धारा 82-रेफरेन्स-सम्बत् 2008 से 2027 में भूमि माफी मन्दिर श्री ठाकुर जी के नाम दर्ज थी एवं एम कृषक के रूप में दर्ज था-मन्दिर का नाम विलोपित किया और भूमि 'एम' के नाम दर्ज की-विवाद को निर्णीत करने हेतु ठोस सामग्री नहीं-कुछ भी उल्लेख नहीं किया कि भूमि कैसे 'एम' के नाम दर्ज हुई-रेफरेन्स किसी निर्णय या आदेश के विरुद्ध पेश किया जा सकता है-रेकॉर्ड पर कोई आदेश उपलब्ध नहीं है-निर्णीत, आदेश अपास्त किया तथा सघन परीक्षण करने के बाद रेफरेन्स करने हेतु मामला अतिरिक्त कलेक्टर को प्रतिप्रेषित किया।”

- (6) कि बहस में यह भी कथन किया कि उपरोक्त भूमि के संबंध में प्रार्थी ने पूर्व में भी रेफरेंस प्रार्थना पत्र श्रीमान् के न्यायालय में प्रस्तुत किया था जिसे अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण व मियाद बाहर मानते हुए खारिज किया जा चुका है इसलिए यह दुबारा रेफरेंस प्रार्थना पत्र रेसज्यूडिकेट (पूर्व न्याय) सिद्धांत से बाधित होने के कारण चलने योग्य नहीं है।
- (7) कि बहस में यह भी बताया कि भूमि आगे से आगे रजिस्टर्ड बेचान से विभिन्न व्यक्तियों को बेचान हो चुकी है, उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है, इसलिए जो प्रभावित पक्षकार है, उनके बिना सुने उनकी पीठ के पीछे आदेश पारित नहीं किया जा सकता, ऐसा करना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरित है। इसके अलावा रजिस्टर्ड बेचाननामों को निरस्त करने व उनकी वैधता देखने का भी राजस्व न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं है।
04. दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया, पत्रावली का अवलोकन किया। वकील अप्रार्थीगण की ओर से जो न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये हैं, उनमें माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल ने 9 वर्ष, 13 वर्ष, 18 वर्ष, 25 वर्ष व 37 वर्ष पश्चात रेफरेंस करने की कार्यवाही को उचित एवं न्यायसंगत नहीं माना है एवं मियाद बाहर माना है। प्रार्थी का यह प्रकरण लगभग 60 वर्ष पुराना है। इतनी लम्बी देरी के पश्चात प्रस्तुत किया गया यह रेफरेंस मियाद बाधित है एवं मियाद बाहर है, इसलिए यह रेफरेंस मियाद बाहर होने के कारण चलने योग्य नहीं है। पर्चा खतौनी सम्बत् 2006 यानि सन् 1949-50 में पैमा वल्द हरजी कौम पुरोहित का नाम काश्तकार के कॉलम में बतौर काश्तकार दर्ज है। पर्चा तजवीज लगान मौजा सांगरिया में पैमा वल्द हरजी का नाम बतौर डोलीदार दर्ज है। पैमा पुत्र हरजी द्वारा सम्बत् 2020 यानि सन् 1964 से लेकर 1978 तक लगान अदा किया गया है जिसकी पुष्टि लगान की रसीदात से होता है। राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 के अनुसार जहां डोली या मंदिर कि स्थिति जागीरदार की थी वहां जागीरी यानि माफी समाप्त होते ही काबिज काश्तकार या डोलीदार खातेदार बन जाता है, इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने समय-समय पर परिपत्र जारी किये हैं। इसके अलावा अप्रार्थीगण एवं उनके पूर्वजों द्वारा वर्ष 1965 से लेकर 1978 तक उक्त भूमि का लगान जमा करवाया गया है, जिसकी

पुष्टि लगान की रसीदों व ढालबांछ से होती है। डोली की भूमि का न तो लगान कायम होता, न ही वसूल किया जाता, लगान खातेदार से ही लिया जाता है। उक्त भूमि में डोली की भूमि का नोट जमाबंदी में लगाया गया था लेकिन उस नोट को उचित नहीं मानते हुए अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ने अपने निर्णय दिनांक 13.03.2013 में नोट को उचित नहीं माना एवं हटाने का आदेश दिया, जिस पर उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर ने अपने निर्णय दिनांक 23.04.2014 के जरिये जमाबंदी से नोट हटाने का आदेश दिया एवं उक्त नोट को जमाबंदी से हटाया गया। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के निर्णय दिनांक 13.03.2013 के विरुद्ध न तो कोई अपील की गई, न ही उसे चुनौती दी गई, इसलिए वह आदेश फाईनल हो चुका है। उक्त भूमि के संबंध में उक्त तथ्यों के आधार पर पूर्व में भी रेफरेंस किया गया था, जिसको अपूर्ण व त्रुटिपूर्ण मानते हुए दिनांक 28.06.2019 को खारिज किया गया जा चुका था। पुनः उन्हीं तथ्यों पर आधारित यह रेफरेंस प्रस्तुत किया गया है, जो चलने योग्य नहीं है। रेफरेंस किसी निर्णय, डिक्री या आदेश को अपास्त करने के बाबत किया जाता है एवं उसकी वैधता को देखा जाता है। राजस्व प्रविष्टियों को अपास्त करने के लिए किसी प्रकार का रेफरेंस नहीं हो सकता। जैसा कि राजस्व मण्डल ने न्यायिक दृष्टांत 2016(1) RRT 396 व 2020(1) RRT 60 में अभिनिर्धारित किया है। अप्रार्थीगण ने काफी भूमि आगे बेचान होने का तथ्य भी बताया है एवं खरीददार पक्षकार नहीं होने का तथ्य भी बताया है। उपरोक्त परिस्थितियों में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह रेफरेंस मेन्टेनेबल नहीं होने के कारण तथा चलने योग्य नहीं होने से काबिल खारिज है। अतः प्रार्थी तहसीलदार, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

निर्णय आज दिनांक
लिखवाया जाकर सुनाया गया।

को खुले न्यायालय में

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।